-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 18.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2021 में थाना मटौंध क्षेत्र में व्यक्ति को चाकू मारकर हत्या करने वाले 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन कारावास व कुल 40 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2021 में थाना मटौंध क्षेत्र अन्तर्गत व्यक्ति को चाकू मारकर हत्या करने वाले 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 15.11.2021 को थाना मटौंध क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भूरागढ़ के रहने वाले 1-रियाज खाँन उर्फ पप्पू पुत्र शहजाद, 2- अन्जुम खाँन उर्फ नूरी पुत्री शहजाद, 3- विल्लू उर्फ अरबाज पुत्र अनवर व 4- शैलेन्द्र पुत्र मुन्नू द्वारा एक राय होकर चाकू मारकर गांव के ही एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी जिसके सम्बन्ध में मृतक के भाई जयसिंह की तहरीर पर थाना मटौंध में मु0अ0सं0 143/21 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना मटौंध श्री अरविन्द सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 25.08.2022 आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री मनोज कुमार दीक्षित व श्री रामकुमार सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी विपुल यादव तथा पैरोकार आरक्षी संदीप कुमार के अथक प्रयासों से सभी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा आजीवन कारावास व कुल 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **रियाज खाँन उर्फ पप्पू पुत्र शहजाद निवासी भूरागढ़ थाना मटौंध जनपद बांदा।**
2. **अन्जुम खाँन उर्फ नूरी पुत्री शहजाद निवासी भूरागढ़ थाना मटौंध जनपद बांदा।**
3. **विल्लू उर्फ अरबाज पुत्र अनवर निवासी भूरागढ़ थाना मटौंध जनपद बांदा**
4. **शैलेन्द्र पुत्र मुन्नू निवासी भूरागढ़ थाना मटौंध जनपद बांदा**